Certificate of the Comptroller and Auditor General of India on Appropriation Accounts

This compilation containing the Appropriation Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year ending March 2015 presents the accounts of the sums expended in the year compared with the sums specified in the schedules appended to the Appropriation Acts passed under Section 29 and Section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991. The Finance Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year showing the receipts and disbursements of the government for the year together with the financial results disclosed by the revenue and capital accounts, the accounts of the public debt and the liabilities and assets as worked out from the balances recorded in the accounts are presented in a separate compilation.

The audit of these Accounts is independently conducted through the office of the Principal Accountant General (Audit), Delhi, in accordance with the requirements of Articles 149 of the Constitution of India, Section 48 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, and the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, for expressing an opinion on these accounts based on the results of such audit.

The audit was conducted in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that the accounts are free from material misstatement. The audit includes examination, on a test basis, of evidence relevant to the amounts and disclosures in the financial statements.

On the basis of the information and explanations that my officers required and have obtained, and according to the best of my information as a result of test audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that, to the best of my knowledge and belief, the Appropriation Accounts read with observations in this compilation give a true and fair view of the accounts of the sums expended in the year ended March 2015 compared with the sums specified in the schedules appended to the Appropriation Acts passed by the Legislative Assembly of NCT of Delhi under Section 29 and Section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

Points of interest arising from study of these accounts as well as test audit conducted during the year or earlier years are contained in my Reports on the Government of National Capital Territory of Delhi being presented separately for the year ended March 2015.

Date : **(SHASHI KANT SHARMA)**

Place : **New Delhi** **Comptroller and Auditor General of India**

विनियोग लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम की धाराओं 29 व 30 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में इस वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखे इस वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे प्रस्तुत करते हैं, साथ ही ये राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में दर्ज शेषों के आधार पर निकाली गई देयताओं और परिसम्पत्तियों को भी प्रदर्शित करते हैं, जिन्हे एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम की धारा 48 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय के माध्यम से की जाती है।

यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुसार की गई थी। इन मानदण्डों में यह अपेक्षित है कि हम समुचित आश्वासन प्राप्त करने, कि लेखे सामग्री मिथ्याकथन से मुक्त हैं, के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा किए गए प्रकटनों से संगत साक्ष्य की नमूना आधार पर जांच शामिल है।

मेरे अधिकारियों द्वारा वांछित तथा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप तथा उपरोक्त स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपनी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धाराओं 29 व 30 द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में व्ययित राशि के लेखों को सही तथा स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्‌भूत ध्यान देने योग्य विषय मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांकः **(शशि कान्त शर्मा)**

स्थानः **नई दिल्ली** **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**